कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in ☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01 / यो0बजट–21 / 2021–70 **दिनांक : 12.02.2022**

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची

विषय :– वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित योजना, "हाथी परियोजना" (60:40) के अंतर्गत सिंहभूम गज आरक्ष्य एवं अन्य प्रमण्डलों के लिए कुल **रू0 148.500 लाख (एक करोड़ अड़तालीस लाख पचास हजार रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0ब0–19 / 2020–29 / स्वी0 व0प0 दिनांक 02.02.2022 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो0बजट–19 / 2020–48 / आ0 व0प0 दिनांक 02.02.2022 तथा विभागीय पत्रांक–4 / यो0बजट–19 / 2020–35 / स्वी0 व0प0 दिनांक 10.02.2022 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष–110 वन्य जीव परिरक्षण, उप शीर्ष–03 हाथी परियोजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 148.500 लाख (एक करोड़ अड़तालीस लाख पचास हजार रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

(क) केन्द्रांश (60%)

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19C24060211003010103	49.680
आपूर्ति एवं सामग्री	19C24060211003010323	39.420
कुल :–		**89.100**

(ख) राज्यांश (40%)

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060211003010103	33.120
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060211003010323	26.280
कुल :–		**59.400**

2. योजना कार्यान्वयन HDFC बैंक में खोले गये खातों के माध्यम से PFMS के द्वारा किया जाना है। अतः कोषागार से एक मुश्त राशि की निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची होंगे तथा उक्त राशि को सिंगल नॉडल पदाधिकारी के पदनाम से खोले गये बैंक खाता संख्या 50100452105882 आई0एफ0सी0 कोड संख्या HDFC0002519 में जमा किया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **अनुलग्नक–1** पर तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–2** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19C24060211003010103, 19C24060211003010323, 19S24060211003010103 एवं 19S24060211003010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा Project Elephant हेतु स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य, विमुक्त रशि एवं अधिरोपित शर्त्तों/मार्गदर्शिका से अंकित/ गठित विधियों के अनुरूप ही सुनिश्चित किया जाएगा।

5. योजना कार्यान्वयन के पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली ज़ाएगी एवं उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी ज़ायेगी।

6. (I) स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–301 दिनांक–11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

(II) स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरुप किया जायेगा।

(III) राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम – 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड होंगे।

8. **(I)** निकासी एवं व्यय पदाधिकारी योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करायेंगे।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमण्डलीय लेखा में प्रवृष्टि की समीक्षा करेंग एवं समीक्षोपरान्त इस कार्यालय को वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे।

(III) नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कार्यान्यन एजेंसी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यता हो, तद्नुसार निर्देश इस स्तर से प्राप्त करना चाहेंगे।

9. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ–साथ तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।यह योजना 1992 से चल रही है। विभिन्न गतिविधयाँ यथा वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर (चेक डेम/तालाब) एवं Soil moisture – Soil Water Conservation इत्यादि का कार्य वाटर सेड, कैम्पा तथा राज्य योजना के अधीन भी किया जाता है। इसका दोहरीकरण (duplication) नहीं है, सभी Georefenced ~~entry~~ Data प्रमंडल में मौजूद है।

10. (I) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाय। मार्गदर्शिका में नीति उद्देश्य/लक्ष्य की प्राप्ति हो। यह भी देखा जाय कि man-animal conflicts में तुलनात्मक वर्षवार कितनी

कमी आ रही है। प्रभावित श्रोतों को चिन्हित कर विशेष प्रभावित क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक इस कार्यालय को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका आंशिक सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no के साथ फोन नम्बर भी एकत्र किया जाय।

(V) जिन प्रमण्डलों ने तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड को उपलब्ध नहीं कराया है, व प्रमण्डल उप आवंटित राशि के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन तैयार कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्रणी, झारखण्ड को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही राशि का व्यय करेंगे।

(VI). सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्तिकर्त्ता को किया जायेगा।

(VII). बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके।

(VIII). Income tax(IT)/ Service Tax(GST/VAT)/ Mines Royal के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेगें तथा ससमय return जमा करेगें।

11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरुप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरुप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. **(I)** सभी यंत्र–संयत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन के पश्चात् मशीन एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाएगा।

(II) वैसे यंत्र–संयत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी।

13. **COVID-19** के रोकथाम के संबंध में वन प्रमण्डल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ–जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जाएगा उनके Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जाएगा। हैन्डवास इत्यादि की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए।

14. निकासी एवं व्यय पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

15. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देंखे कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध रशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरणीकरण न हों।

16. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक

16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542 दिनांक, दिनांक 11.03. 2015 के आलोक में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–21/2021–70** दिनांक–**12.02.2022**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/ राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/ चाईबासा/ राँची/ वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल/ कोल्हान वन प्रमण्डल/ पोड़ाहाट वन प्रमण्डल/ चाईबासा वन प्रमण्डल/जमशेदपुर वन प्रमण्डल/ सरायकेला वन प्रमण्डल/खूँटी वन प्रमण्डल/ राँची वन प्रमण्डल/ उप वन संरक्षक, गज परियोजना, जमशेदपुर/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–21/2021–70** दिनांक–**12.02.2022**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा/ जमशेदपुर/ सरायकेला–खरसावां/ खूँची/ डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जानेवाली केन्द्र प्रायोजित योजना "हाथी परियोजना (60:40)" के अन्तर्गत सिंहभूम गज आरक्ष्य एवं अन्य प्रमण्डलों का उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(रू0 लाख में)

क्र0	वन प्रमण्डल का नाम	कार्य विवरणी	भौतिक लक्ष्य	प्राक्कलित राशि	मजदूरी			आपूर्ति एवं सामग्री			कुल योग
					केन्द्रांश 60%	राज्यांश 40%	कुल	केन्द्रांश 60%	राज्यांश 40%	कुल	
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii
1	सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा	**हाथियों के पर्यावास एवं कॉरीडोर की सुरक्षा**									
		वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण	2	14.000	3.360	2.240	5.600	5.040	3.360	8.400	14.000
		तालाब का निर्माण	1	5.000	2.400	1.600	4.000	0.600	0.400	1.000	5.000
		विविध कार्य									
		गुप्त सूचना हेतु पारितोषिक		0.500	0.300	0.200	0.500	0.000	0.000	0.000	0.500
		योग :–	**3**	**19.500**	**6.060**	**4.040**	**10.100**	**5.640**	**3.760**	**9.400**	**19.500**
2	कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा	**हाथियों के पर्यावास एवं कॉरीडोर की सुरक्षा**									
		वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण	1	7.000	1.680	1.120	2.800	2.520	1.680	4.200	7.000
		तालाब का निर्माण	1	5.000	2.400	1.600	4.000	0.600	0.400	1.000	5.000
		सॉल्ट–लिक्स का क्रय		0.500	0.000	0.000	0.000	0.300	0.200	0.500	0.500
		विविध कार्य									
		कानूनी प्रक्रिया हेतु सेवा एवं कार्यालय व्यय		0.200	0.120	0.080	0.200	0.000	0.000	0.000	0.200
		योग :–	**2**	**12.700**	**4.200**	**2.800**	**7.000**	**3.420**	**2.280**	**5.700**	**12.700**
3	पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा	**हाथियों के पर्यावास एवं कॉरीडोर की सुरक्षा**									
		वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण	1	7.000	1.680	1.120	2.800	2.520	1.680	4.200	7.000
		तालाब का निर्माण	1	5.000	2.400	1.600	4.000	0.600	0.400	1.000	5.000
		सॉल्ट–लिक्स का क्रय		0.500	0.000	0.000	0.000	0.300	0.200	0.500	0.500
		विविध कार्य									
		गुप्त सूचना हेतु पारितोषिक		0.500	0.300	0.200	0.500	0.000	0.000	0.000	0.500
		कानूनी प्रक्रिया हेतु सेवा एवं कार्यालय व्यय		0.200	0.120	0.080	0.200	0.000	0.000	0.000	0.200
		योग :–	**2**	**13.200**	**4.500**	**3.000**	**7.500**	**3.420**	**2.280**	**5.700**	**13.200**
4	चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	**हाथियों के पर्यावास एवं कॉरीडोर की सुरक्षा**									
		वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण	2	14.000	3.360	2.240	5.600	5.040	3.360	8.400	14.000
		सॉल्ट–लिक्स का क्रय		0.500	0.000	0.000	0.000	0.300	0.200	0.500	0.500
		विविध कार्य									
		मृत हाथियों का पोस्ट–मॉर्टम एवं दफनाने का कार्य		1.000	0.600	0.400	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000

क्र0	वन प्रमण्डल का नाम	कार्य विवरणी	भौतिक लक्ष्य	प्राक्कलित राशि	मजदूरी			आपूर्ति एवं सामग्री			कुल योग
					केन्द्रांश 60%	राज्यांश 40%	कुल	केन्द्रांश 60%	राज्यांश 40%	कुल	
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii
		गुप्त सूचना हेतु पारितोषिक		0.500	0.300	0.200	0.500	0.000	0.000	0.000	0.500
		कानूनी प्रक्रिया हेतु सेवा एवं कार्यालय व्यय		0.200	0.120	0.080	0.200	0.000	0.000	0.000	0.200
		योग :–	**0**	**16.200**	**4.380**	**2.920**	**7.300**	**5.340**	**3.560**	**8.900**	**16.200**
5	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	**हाथियों के पर्यावास एवं कॉरीडोर की सुरक्षा**									
		वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण	2	14.000	3.360	2.240	5.600	5.040	3.360	8.400	14.000
		सॉल्ट–लिक्स का क्रय		0.500	0.000	0.000	0.000	0.300	0.200	0.500	0.500
		कंटूर–ट्रेंच		1.000	0.600	0.400	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000
		गली प्लगींग		1.500	0.900	0.600	1.500	0.000	0.000	0.000	1.500
		योग :–	**2**	**17.000**	**4.860**	**3.240**	**8.100**	**5.340**	**3.560**	**8.900**	**17.000**
6	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	**हाथियों के पर्यावास एवं कॉरीडोर की सुरक्षा**									
		वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण	1	7.000	1.680	1.120	2.800	2.520	1.680	4.200	7.000
		तालाब का निर्माण	1	5.000	2.400	1.600	4.000	0.600	0.400	1.000	5.000
		सॉल्ट–लिक्स का क्रय		0.500	0.000	0.000	0.000	0.300	0.200	0.500	0.500
		विविध कार्य									
		मृत हाथियों का पोस्ट–मॉर्टम एवं दफनाने का कार्य		0.500	0.300	0.200	0.500	0.000	0.000	0.000	0.500
		गुप्त सूचना हेतु पारितोषिक		0.500	0.300	0.200	0.500	0.000	0.000	0.000	0.500
		कानूनी प्रक्रिया हेतु सेवा एवं कार्यालय व्यय		0.200	0.120	0.080	0.200	0.000	0.000	0.000	0.200
		योग :–	**2**	**13.700**	**4.800**	**3.200**	**8.000**	**3.420**	**2.280**	**5.700**	**13.700**
7	उप वन संरक्षक, गज परियोजना, जमशेदपुर	**एण्टी डिप्रेडेशन कार्य (हाथियों से सुरक्षा)**									
		ग्राम स्तर पर एण्टी डिप्रेडेशन दल का गठन @ 0.900/- लाख प्रति ग्राम	10	9.000	5.400	3.600	9.000	0.000	0.000	0.000	9.000
		हाथियों के पर्यावास एवं कॉरीडोर की सुरक्षा									
		वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण	2	14.000	3.360	2.240	5.600	5.040	3.360	8.400	14.000
		तालाब का निर्माण	1	5.000	2.400	1.600	4.000	0.600	0.400	1.000	5.000
		सॉल्ट–लिक्स का क्रय		0.500	0.000	0.000	0.000	0.300	0.200	0.500	0.500
		विविध कार्य									
		गुप्त सूचना हेतु पारितोषिक		0.500	0.300	0.200	0.500	0.000	0.000	0.000	0.500
		कानूनी प्रक्रिया हेतु सेवा एवं कार्यालय व्यय		0.200	0.120	0.080	0.200	0.000	0.000	0.000	0.200
		योग :–	**3**	**29.200**	**11.580**	**7.720**	**19.300**	**5.940**	**3.960**	**9.900**	**29.200**

क्र0	वन प्रमण्डल का नाम	कार्य विवरणी	भौतिक लक्ष्य	प्राक्कलित राशि	मजदूरी			आपूर्ति एवं सामग्री			कुल योग
					केन्द्रांश 60%	राज्यांश 40%	कुल	केन्द्रांश 60%	राज्यांश 40%	कुल	
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii
8	खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी	हाथियों के पर्यावास एवं कॉरीडोर की सुरक्षा									
		तालाब का निर्माण	1	10.000	4.800	3.200	8.000	1.200	0.800	2.000	10.000
		वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण	1	5.000	1.200	0.800	2.000	1.800	1.200	3.000	5.000
		मृत हाथियों का पोस्ट–मॉर्टम एवं दफनाने का कार्य		0.500	0.300	0.200	0.500	0.000	0.000	0.000	0.500
		गुप्त सूचना हेतु पारितोषिक		0.500	0.300	0.200	0.500	0.000	0.000	0.000	0.500
		योग :–	**2**	**16.000**	**6.600**	**4.400**	**11.000**	**3.000**	**2.000**	**5.000**	**16.000**
9	राँची वन प्रमंडल, राँची	हाथियों के पर्यावास एवं कॉरीडोर की सुरक्षा									
		वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण	2	10.000	2.400	1.600	4.000	3.600	2.400	6.000	10.000
		सॉल्ट–लिक्स का क्रय		0.500	0.000	0.000	0.000	0.300	0.200	0.500	0.500
		कानूनी प्रक्रिया हेतु सेवा एवं कार्यालय व्यय		0.500	0.300	0.200	0.500	0.000	0.000	0.000	0.500
		योग :–	**2**	**11.000**	**2.700**	**1.800**	**4.500**	**3.900**	**2.600**	**6.500**	**11.000**
		सकल योग :–		**148.500**	**49.680**	**33.120**	**82.800**	**39.420**	**26.280**	**65.700**	**148.500**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

F:\ANIL\2021-22\Allotment\CSS\Elephant Project\Elephant Project 2021-22

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-21/2021/70 दिनांक - 12-Feb-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060211003010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 03 - हाथी परियोजना 01-हाथी परियोजना 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	79995	DRNFWL049 UMESH SAHANI DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI 03 - मजदूरी	3,312,000.00 रुपये तैतीस लाख बारह हजार
2	C 19 24060211003010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 03 - हाथी परियोजना 01-हाथी परियोजना 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	79999	DRNFWL049 UMESH SAHANI DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI 03 - मजदूरी	4,968,000.00 रुपये उनचास लाख अडसठ हजार
3	S 19 24060211003010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 03 - हाथी परियोजना 01-हाथी परियोजना 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	79997	DRNFWL049 UMESH SAHANI DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	2,628,000.00 रुपये छब्बीस लाख अठाइस हजार

योग: रुपये एक करोड नौ लाख आठ हजार 10,908,000.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND
RANCHI

 117.214.55.92 Run Date: 12/2/2022

पत्र संख्या - 01/YB-21/2021/70 दिनांक - 12-Feb-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	C 19 24060211003010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 03 - हाथी परियोजना 01-हाथी परियोजना 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	80000	DRNFWL049 UMESH SAHANI DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	3,942,000.00 रुपये उनचालीस लाख बयालीस हजार

योग:	रुपये एक करोड अडतालीस लाख पचास हजार	3,942,000.00
क्रमिक योग:		14,850,000.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 117.214.55.92 Run Date: 12/2/2022